जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटपूतली (जिला–कोटपूतली–बहरोड)

email id – adj1kot-jaipr-rj@hcraj.nic.in Tel. No. 01421-248429

क्रमांक : लेखा/2026–2027/369 दिनांक : 05/10/2026

संशोधित निविदा सूचना 04/2026–2027

कोटपूतली–बहरोड के जिला न्यायलय एवं न्यायक्षेत्र के अधीनस्थ न्यायलयों में नवीन प्रिण्टर क्रय करने के लिये के लिए प्रतिष्ठित/प्रचलित ब्रॉण्ड के 20 प्रिंटर (अधिकतम अनुमानित लागत 240000/–) हेतु अधिकृत निर्माताओं /डीलरों विक्रेताओ से जो बोली में वर्णित विषय वस्तु के लिए वस्तु एवं सेवा कर में पंजीकृत है, मुहरबंद बोली (तकनीकी–वाणिज्यिक एवं वित्तीय) निम्नलिखित प्रकार से आमंत्रित की जाती है। बोली प्रपत्र **sppp Portal** से डाउनलोड किया जा सकेगा तथा मुहरबंद बोली प्रपत्र दिनांक 05.10.2026 सायं 4:30 बजे से दिनांक 14.10.2026 सायं 05:00 बजे तक विक्रय कर दिनांक 15.10.2026 प्रातः 11:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। तकनीकी–वाणिज्यिक बोली दिनांक 15.10.2026 को दोपहर 01:30 बजे खोली जायेगी।

NIB no.	विवरण	अनुमानित राशि रू.	बोली प्रपत्र शुल्क रू	बोली प्रतिभूति राशि रू.
04/2026-27	**Supply & Installation of Printer**	240000/–	500/–	**2% or 0.5% as per rule 42 - for msme specified dealer**

1. बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना मय बोली दस्तावेज राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in और http:// districts.ecourts.gov.in पर देखी जा सकती है। बोली निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी।
2. बोली द्वि–प्रक्रमी बोली के रूप में आमंत्रित की गई है। बोली दाता की तकनीकी क्षमता हेतु तकनीकी योग्यताओं एवं शर्तों की सूची तकनीकी बोली तकनीक लिफाफा में रखी जावे तथा वित्तीय बोली वित्तीय लिफाफा में रखी जावे।
3. वित्तीय बोली निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी। वित्तीय बोली के साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया जावेगा।
4. बोली से संबंधित नियम, शर्त एवं बिड प्रपत्र किसी भी कार्यालय दिवस में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम संख्या 01, कोटपूतली के यहाँ उपरोक्तानुसार बोली प्रपत्र शुल्क निर्धारित दिवस एवं समय तक जमा करवाकर प्राप्त किये जा सकते है या राज्य लोक उपापन पोर्टल **http://sppp.rajasthan.gov.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है। डाउन लोड किये गये बोली प्रपत्र का मूल्य रू 500/– बोलीदाता द्वारा पृथक से डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड के पक्ष में बनाकर बोली के साथ संलग्न करना होगा। मुहरबंद बोली निर्धारित दिनांक एवं समय तक प्रस्तुत की जा सकेगी तत्पश्चात् बोली स्वीकार नहीं का जायेगी। प्राप्त बोली निर्धारित दिनांक एवं समय को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम संख्या 01 के कक्ष में उपस्थित बोलीदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।
5. बोली प्रतिभूति एवं बोली प्रपत्र शुल्क राशि का डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड के पक्ष में बनाना होगा तथा तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करना होगा। बोली प्रपत्र शुल्क अप्रतिदाय **(Non-Refunded)** होगा। बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त बोली पर कोई विचार नही किया जावेगा।
6. किसी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है।
7. बोली प्रपत्र में अंकित शर्तों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई शर्त अंकित न की जाये। सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
8. तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में क्वालिफाईड/सफल बोलीदाता की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी।
9. वित्तिय वर्ष 2026–27 में जिला न्यायालय/अन्य किसी भी न्यायालय के लिए समान प्रकृति की सामग्री की आवश्यकता होती है तो इन्ही दरों पर सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।

5.10.26

अध्यक्ष (क्रय समिति)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–01
कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड।

क्रमांक : लेखा/2026–2027/369 दिनांक : 05/10/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड।
2. सिस्टम असिस्टेंट, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटपपूतली को विभाग की वेबसाईट तथा http://SPPP.rajasthan.gov.in पर अपलोड़ करने हेतु।
3. समस्त अधिनस्थ न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

5.10.26

अध्यक्ष (क्रय समिति)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–01
कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड।

Technical Envelop A

जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटपूतली (जिला–कोटपूतली–बहरोड)

तकनीकी–वाणिज्यिक बोली प्रपत्र (Technical-Commercial BID FORM)

1 **Bid for Supply & Installation of Printer**

2 बोली दाता का नाम/ फर्म का नाम,
पत्र व्यवहार हेतु डाक का पता

.....

मोबाईल नं.....ई–मेल.....

3 स्टोर्स/गोदाम/वर्कशॉप/फैक्ट्री सम्पर्क कार्यालय का पता
.....
.....
.....

4 किसको संबोधित किया गया :– जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड ।

5 बोली सूचना संदर्भ :– लेखा/2026–27/..... दिनांक.....

6 बोली प्रपत्र राशि रू 500/– का विवरण (तकनीकी बोली लिफाफा में रखा जावे।)

चैक/डिमांड ड्राफ्ट/नकद रसीद संख्या एवं दिनांक	बैंक का नाम	बैंक शाखा का नाम	राशि

7 बोली प्रतिभूति (Bid Security) के रूप में जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड के पक्ष में बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करा दी गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। तकनीकी बोली लिफाफा में रखी जावे।

चैक/डिमांड ड्राफ्ट/नकद रसीद संख्या एवं दिनांक	बैंक का नाम	बैंक शाखा का नाम	राशि

8 बोलीदाता द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी। तकनीकी बोली लिफाफा में रखी जावे।

विवरण	पंजीकरण संख्या
वस्तु एवं सेवा कर (GST)	
आय कर (PAN NO.)	
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत (MSE reg.no.)	

9 बोलीदाता द्वारा अपने बैंक का विवरण (बैंक स्टेटमेंट संलग्न किया जायेगा व तकनीक बोली लिफाफा में रखी जावे।)

बैंक का नाम	शाखा का नाम एवं पता	IFSC CODE	खाता संख्या

10 बोलीदाता द्वारा गत 3 वित्तीय वर्ष (2023–24,2024–25 एवं 2025–2026) के संबंधित कार्य का Average Annual Turnover राशि रू 03.00 लाख रूपये प्रतिवर्ष होना चाहिए। जिसके समर्थन में उचित दस्तावेज संलग्न करावे।

YEAR	PROFIT/LOSS	ANNUAL TURNOVER
2023-2024		
2024-2025		
2025-2026		

11 हम, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा जारी की गई बोली सूचना में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीटों में दी गई उक्त सूचना की अतिरिक्त शर्तों से स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए है।

12 विभाग द्वारा बोली से संबधित किसी भी प्रकार की सूचना इ–मेल और मोबाईल पर मैसेज कर दी जायेगी, जिस पर कार्यवाही करने के लिए सहमत है।

13 **अनुमोदित प्रदायकर्ता द्वारा माल की सुपूर्दगी क्रय आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर एफ.ओ.आर.** संबन्धित जिला एवं सेशन न्यायालय कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड पर पूर्ण की जाएगी। सामग्री की तुरंत आवश्यकता है, अतः वे ही बोलीदाता बोली प्रस्तुत करे जिनके पास रॉ मेटेरियल, लेबर, मशीनरी तथा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है तथा निर्धारित सुपुर्दगी अवधि में आपूर्ति पूर्ण कर दी जायेगी।

14 **आपकी फर्म को अनुमोदित अंन्तिम 3 कार्यालय आदेश की प्रति संलग्न करे, जिसमे न्यूनतम कार्यालय आदेश राशि 100000/– हो ।**

15 बोली द्वि–प्रक्रमी बोली के रूप में आमंत्रित की गई है। बोली दाता की तकनीकी क्षमता हेतु तकनीकी योग्यताओं एवं शर्तों की सूची तकनीकी बोली लिफाफा में रखी जावे तथा वित्तीय बोली वित्तीय लिफाफा में रखी जावे।

16 वित्तीय बोली निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी। वित्तीय बोली के साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया जावेगा।

17 सार्वधिक लोकप्रिय ब्रांड **Most Popular Brand** की ही बोली प्रस्तुत की जायेगी। स्थानीय स्तर पर ऐसेम्बलड रूप से तैयार प्रोडेक्ट इत्यादि की सप्लाई नहीं कि जावेगी।

18 हमारे द्वारा जिस आईटम की बोली प्रस्तुत की गई है, उस आईटम के Broucher & Catalog of Make and Model जिसमें आईटम का पूर्ण विवरण दर्शाया गया है, बोली के साथ संलग्न है।

19 किसी फर्म द्वारा निविदा में भरी गयी दरें न्यूनतम L1 होने के पश्चात भी फर्म की निविदा स्वीकार कर कार्यादेश जारी करना जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। यदि दो या अधिक निविदादाताओं की दर समान आने पर सफल निविदादाता का चयन निम्नलिखित आधार पर किया जायेगा (1) फर्म/एजेन्सी का अनुभव, (2) वार्षिक टर्नओवर, (3) फर्म/एजेन्सी की प्रोफाइल इत्यादि।

20. जिस Make and Model की बोली प्रस्तुत की गई है, उस का सर्विस सेंटर कोटपूतली, जयपुर, अलवर पर स्थित है।

दिनांक :–

स्थान :–

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Annexure - A

जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटपूतली (जिला–कोटपूतली–बहरोड)

The Detailed Technical Specification

Sr.No.			To be filled by Bidder Name of MFG trade name/make & model no./product no.
1	Printing method	Monochrome Laser Beam Printing	
2	**Print speed**	A4:18ppm or Higher	
		Letter: 19ppm or Higher	
3	**Print Resolution**	600x600 dpi or Higher	
4	**Print Quality with Image Refinement Quality**	600 x600dpi or higher	
Papar Handling			
5	**Papar Input (Standard)**	150 sheets(based on 70g/m2) or Higher	
6	**Paper Output**	100 sheets (face down) (based on 70g/m2) or Higher	
7	**Paper Size**	A4, Legal, letter, and envelop	
8	**Paper type**	Plain paper, Heavy Paper	
Connectivity and Software			
9	**USB Interface**	USB 2.0 High Speed or Higher	
10	**Compatible Operting Systems**	Window, Linux(Ubuntu),and Any Other Compatible OS	
General Specification			
11	**Device Memory**	32 MB or Higher	
12	**Power Requirment**	220-240v(±10%),50/60Hz(±2Hz)	
13	**Monthly Duty Cycle**	5,000 pages or Higher	
14	**Comprehensive On-Site Warranty Except for consumables**	One (1) Year	

Note:

1. All above items must be with warranty period including all spares & service as mentioned above.
2. Brochure & Cataloge of Make and Model quoted should be attached.
3. The items must be orginal Popular Branded as per specification. if any deviation/local assembled product etc. found, legal action will be taken.
4. Technically qualified Bidder has to submit sample on your expenses and risk before the Department Purchase Committee as and when desired at Disrtict and session judge ,kotputli within 03 days from the date of intimation via e mail/phone. The Technical Committee wll inspect the sample of desired Brand physically and quality parameter, if any sample not fulfills this same will also be declared technicaliy dlsqualified.

Dated :-
Place :-

Signature of the Bidder with Seal
Name :-
Address :-

All the Bidders are hereby requested to consider the following table of checklist for technical qualification

Technical Envelope-A

जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटपूतली (जिला–कोटपूतली–बहरोड)

–: तकनीकी योग्यताएं एवं आवश्यक दस्तावेज :–

Sr.No.	Particular	YES/NO	Page no.
1	Tender Fees DD		
2	Bid Security DD		
3	Self Attested GST Registration Certificate		
4	Self Attested Pan Card		
5	Past Work Order copy of Your Firm (minimum 3 and maximum 5 work order attached of Rs. 100000/-)		
6	Last Three years Annual Turnover Details certified by CA		
7	Technical Bid Form Signed &Seal		
8	General Terms & Condition.SR16 Signed and seal		
9	Technical Specification with compliance Sheet signed & Seal		
10	Annexure ABCD of Transparency in Public Procurement act signed &seal		
11	Annexure E Self Declaration by the bidder regarding compliance Terms and condition of bid & price fall clause & conformity/no deviation signed & seal.		
12	ANNEXURE-F SELF-DECLARATION of NO BLACKLISTING		
13	Annexure G sr-11 signed and seal		
14	Registration Certificatre of Micro and Small Enterprises, classified under sub Section(1) of Section 7 of Micro Small and medium Enterprises development act,2006 and situated in rajasthan and recognized by the industry deparment.		
15	Brochure / Catalogue		
16	Financial Bid signed and seal		
17	Form S.R. 17		

Dated :-
Place :-

Signature of the Bidder with Seal
Name :-
Address :-

Financial Envelope-A

जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटपूतली (जिला–कोटपूतली–बहरोड)

Financial Bid for Supply & Installation of Desktop, Printer and Multifunclion Photocopier Machine at
OFFICE OF DISTRICT AND SESSION COURT KOTPUTLI (Kotputli-Behror DISTT.)

Sr.No.	Name of Article	Estimated Amount (maximum)	Qty.	Rate Quoted Price Per Unit in Indian Rs. (only basic price,all other taxes (if any) may be shown seperately.		
				Name of Brand	Basic price per unit	Total Prices in Words
1	Laser Printer (As per Detail Tehnical Specification)	2.4 Lakh	20 Set			

1. I/We have gone through the terms & conditions as stapulated in the bid enquiry document and confirm to accept and abide the same.
2. No other charges would be payble by the Department.
3. The delivery & installation of the Items will have to be made at campus **OFFICE OF DISTRICT AND SESSION COURT KOTPUTLI (Kotputli-Behror DISTT.)** Transportation/ carriage charges will be provided for the same.
4. The rate quoted should be firm and final and written in ink or typed against each item and should in no case be overwritten. Any overwriting /modification of any type will lead to rejection of the bid.
5. Rates are to be quoted item-wise otherwise bid will be treated as unresponsive. L1 will be decided on individual item basis.
6. Our Status in respect of GST is : GST Registered Bidder/GST Unregistered Bidder/Bidder has Opted for Composition Scheme (Strike off whichever is not applicable)

Dated:-
Place:-

Signature of the Bidder with Seal

जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटपूतली (जिला–कोटपूतली–बहरोड)

General terms & conditions of Bid & Contract

Instructions:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Precurement Act,2012" (hereinafter called the Act) and "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013" (hereinafter called the Rules) under the said Act have coome into force which are available on the website of State Public Procuremet Portal http://sppp.raj.nic.in. Therefore, the bidder are advised to acquaint themselves wit the provisions of the Act ad the Rules before particiapting in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules shall prevail.

1 निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहियें तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहियें। अगर निविदादाता को निविदा के शर्तों या विशिष्टताओं, जो निविदा में दियें गये है, के बारे में किसी प्रकार का निर्वचन (Interpretaion) /आशय के संबंध में कोई संदेह हो, तो निविदा भरने से पूर्व संस्था प्रभारी को प्रस्तुत कर (Clarification) प्राप्त कर लेना चाहिये तथा संस्था प्रभारी का निर्णय अंतिम होगा तथा निविदादाता जिसे स्वीकार करने के लिये बाध्य रहेगा।

2 बिड, सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद कर पूर्ण रूप से भरी गई बिड के साथ निर्धारित प्रतिभूति राशि डी.डी/बैंकर्स चैक एवं आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर उसे क्रय समिति,जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटपूतली (जिला–कोटपूतली–बहरोड)के पते पर बोली सूचना में अंकित दिनांक तक जमा करा सकेंगे। निर्धारित समय के बाद एवं बिना निर्धारित प्रतिभूति राशि/डी.डी./बैंकर चैक के प्राप्त बिडों पर विचार नहीं किया जाएगा एवं वह स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

3 बोली दो लिफाफा पद्धति से आमंत्रित की गई है। बोलीदाता द्वारा तकनीकी–वाणिज्यिक बोली एवं वित्तीय बोली पृथक पृथक लिफाफें में प्रस्तुत करनी होगी। बोली दस्तावेज जो तकनीकी बोली के साथ संलग्न किये जाने है, उन्हे तकनीकी बोली प्रपत्र के साथ तकनीकी लिफाफा–अ में सील बन्द किया जायेगा। वित्तीय बोली प्रपत्र, जिसमें दरे अंकित कि जावेगी, को वित्तीय लिफाफा–ब में सी बन्द किया जायेगा। वित्तीय बोली प्रपत्र जिसमें दरे अंकित कि जावेगी, को वित्तीय लिफाफा–ब में सील बन्द किया जायेगा। तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रख कर सील बंद किया जायेगा। तीनों लिफाफों पर कार्य का नाम, कार्यालय का नाम जिसके लिए बोली प्रस्तुत की गई है एवं बिड सूचना संख्या अंकित कि जावे। वित्तीय लिफाफ मे वित्तीय निविदा ही रखी जावे। अन्य कोई प्रपत्र नहीं रख जावे।

4 तकनीकी प्रस्ताव वाले लिफाफे में भरा हुआ तकनीकी बिड प्रपत्र एवं समस्त दस्तावेज जो मांगे जा रहे है, रखे जायेंगे। बिडदाता को वित्तीय प्रस्ताव अलग लिफाफे में प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी बिडदाता द्वारा तकनीकी प्रस्ताव के साथ वित्तीय प्रस्ताव एक लिफाफें में दिया जाता है तो उसकी बिड निरस्त कर दी जावेगी।

5 प्राप्त बिडों की बोली में अंकित दिनांक को उपस्थित बिडदाता अथवा उसके प्रतिनिधी के समक्ष विभाग की उपापन समिति द्वारा खोला जायेगा। निर्धारित समय में कोई बिडदाता अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नही होने पर विभाग की गठित उपापन समिति द्वारा बिना उसका इन्तजार किए निर्धारित समय पर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क0स0-01, कोटपूतली के कक्ष में खोली जायेगी। यदि उक्त दिनांक को राजकीय अवकाश रहता है तो आगामी कार्य दिवस को बिड खोली जायेगी।

(अ) सर्वप्रथम भरी हुई तकनीकी बिड खोली जायेगी।

(ब) तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त बिडदाता की ही वित्तीय बिड पर विचार किया जायेगा। सिर्फ तकनीकी बिड में सफल बिडदाता ही आगे कार्यवाही में भाग लेने के योग्य होंगे। वित्तीय बिड खोले जाने के संबंध में सफल बिडदाता को दूरभाष पर या पृथक से पत्र द्वारा सूचित कर दिया जायेगा।

6 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।

7 वस्तु एवं सेवा कर पंजीयन :– कोई भी बिडदाता यदि उस राज्य में प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नही है तो वह बिड नहीं देगा। इस संबंध में पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा इसके अभाव में बिड को रद्द कर दिया जायेगा।

8 बिड प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा पेन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नही किया जायेगा। बिडदाता बिड के निविदा के प्रत्यके पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर मय मोहर अंकित करेगा।

9 दरें (Rates) %–

1.) शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटियों एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में सभी प्रकार के करों को पृथक से दिखाना चाहिए।

2.) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।

3.) बोली दरें खुलने के पश्चात् यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

4.) बोलीदाता द्वारा बोली आमंत्रण में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली आमंत्रण में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

5.) बोली में निर्धारित स्पेसिफिकेशन के लिए एक ही दर प्रस्तुत की जावेगी। एक से अधिक दर देने पर निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अतिरिक्त अन्य स्पेसिफिकेशन के लिए दी गई दरों पर विचार नहीं किया जावेगा।

10 वित्तीय बोलीयों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार (Correction of arithmetic errors in financial bids) :– बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

1.) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

2.) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा ; और

3.) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई सिंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

11 निर्धारित बिड प्रारूप के अतिरिक्त अन्य प्रारूप में दी गई बिड पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्यालय द्वारा ऐसी किसी भी बिड को प्राप्त नही करेगा, जो बिड प्रस्तुतीकरण के लिए नियत दिनांक और समय के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। फैक्स द्वारा भेजी गई निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। कोई भी बिड, जो बिड के प्रस्तुतीकरण के लिए अंतिम समय सीमा के पश्चात् कोरियर/डाक द्वारा पहुंची हो, को विलंब से प्राप्त के रूप में चिह्नित और घोषित किया जा कर, बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बिडदाता को लौटा दी जायेगी।

12 बिडदाता अपनी बिड या उसके किसी सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और नहीं किसी को आगे सब लेट कर सकेंगा।

13 बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि (Period of validity of Bids) :–

1.) बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। किन्तु उपापन की प्रकृति के आधार पर यह अधिक भी हो सकती है। लघुत्तर कालावधि के लिए विधिमान्य कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी के रूप में उपापन संस्था द्वारा अस्वीकार की जायेगी।

2.) बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि के अवसान के पूर्व, उपापन संस्था आपवादिक परिस्थितियों में, बोली लगाने वालों से अतिरिक्त विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए बोली की विधिमान्यता की कालावधि का विस्तार करने के लिए अनुरोध कर सकेगी। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वकीार कर सकता है और ऐसी अस्वीकृत बोली प्रत्याहरण के रूप में मानी जायेगी किन्तु ऐसी परिस्थितियों में बोली प्रतिभूति समपहृत नही की जायेगी।

3.) ऐसे बोली लगाने वाले जो उनकी बोली की विधिमान्यता की कालावधि के विस्तार से सहमत होते है, उनके द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूतियों की विधिमान्यता की कालावधि का विस्तार करेंगे या विस्तार करायेंगे या उनकी बोली की विधिमान्यता का विस्तारित कालावधिक को आवृत करने के लिए नयी बोली प्रतिभूतियां (Bid Securities) प्रस्तुत करेंगे। कोई बोली लगाने वाला जिसकी बोली प्रतिभूति विस्तारित नहीं की जाती है या जिसने नयी बोली प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं की है, इसे उसकी बोली की विधिमान्यता की कालावधि के विस्तार के लिए अनुरोध को अस्वीकार किया जाना माना जायेगा।

14 बोलियों का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन और उपान्तरण ,withdrawal, Substitution and modificaiotns of Bids) :–

1.) बोली लगाने वाला बोली प्रस्तुत करने के पश्चात् उसके या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकरण पत्र संलग्न हो) सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित नोटिस भेज कर उसकी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण कर सकेगा। बोली के तत्संबंधी प्रतिस्थापन या उपान्तरण के साथ लिखित नोटिस होना चाहिये। नोटिस –

अ) बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत किया जाये और इसके अतिरिक्त लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "प्रत्याहरण", या "उपान्तरण" अंकित हो; और

ब) बोलियों को प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम समय और तारीख से पहले बोलियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाये या सीधे ही बोली के बक्से में डाल दिया जाये।

2.) बोलियां, जिनके प्रत्याहरण का अनुरोध किया गया है, बोली लगाने वालों को बिना खोले लौटा दी जायेगी।

3.) किसी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण बोलियों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

15 मूल्यांकन की कसौटी :– तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की आईटमवाईज न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली का मूल्यांकन किया जावेगा।

16 मूल्यांकन में कीमत/क्रय अधिमान :– बोलियों के मूल्यांकन और संविदा के अधिनिर्णय में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित और बोली दस्तावेजों में यथा–वर्णित कीमत और/या क्रय अधिमान पर विचार किया जावेगा।

17 अनुमोदित प्रदायकर्त्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों विनिर्देशों, आकार मेंक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों विनिर्देशों, रेखाचित्र आदि के किसी भाग के आशय के बारें में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

18 दरे इस कार्यालय के लिए एफ.ओ.आर उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु किसी भी प्रकार के करों को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गाड़ी भाड़े (कार्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी निर्धारित स्थान पर दी जाएगी।

19 स्पेसिफिकेशन (Specification) :-

1.) बोलीदाता द्वारा अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएं शर्तों से संबंधित निर्धारित स्पेसिफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होगी। जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसिफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।

2.) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुएं निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।

3.) यदि बोलीदाता किसी अनुमोदित आईटम को सप्लाई करने में किसी भी कारण से असमर्थ है तो उसके समकक्ष या अन्य मेक का आईटम उपापन समिति के अनुमोदन के

पश्चात् बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। यदि बोलीदाता अनुमोदित सामग्री प्रदाय नहीं करता है तो उपापन समिति स्थानीय बाजार से उक्त या उसके समकक्ष बाजार में उपलब्ध अन्य मेक की सामग्री क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगी एवं अन्तर राशि बोलीदाता की प्रतिभूति राशि अथवा बिल से समायोजित की जावेगी।

4.) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाता द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 दिवस के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूला जावेगा। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 दिवस पश्चात बोलीदाता द्वारा विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभगीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।

5.) वारंटी एवं गांरटी का खंड :– निविदादाता यह गारन्टी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से बोली में अंकित अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नही पाया गया या वे समाप्त हो गये है (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम परिणामी होगा), तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नही पाये जाएंगे, रद्ध करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रद्ध किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्ध करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्ध कर दिय गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकुल प्रभाव नही डालेगी।

20 निरीक्षण एवं परीक्षण :–

1.) उपापन समिति या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रदायकर्ता के परिसर में कार्य आदेश के तहत् तैयार की जा रही सामग्री का किसी भी समय पर निरीक्षण कर सकता है।

2.) बिडदाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम एवं वर्कशॉप का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत/डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके, यदि कार्यस्थल पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम जो पूर्ण पता सूचित करेगा, कार्यास्थल पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क किया जा सकें।

3.) सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित् करने के लिए निरीक्षण व जांच की जा सकेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है या नहीं। जहाँ आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में करवाया जा सकेगा तथा परीक्षण पर यदि समान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा तो उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

4.) परीक्षण प्रभार :– बोलीदाता से समान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जायेगा उसके परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेगे। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण करना चाहता हो या यदि परीक्षण परणिामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया समान विहित स्तर या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नही है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेंगे। बोलीदाता द्वारा अंकित स्पेसिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुए बोली एवं शर्तों से संबंधीत निर्धारित स्पेसिफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होगी। जहां पर वस्तुओं की आई. एस.आई स्पेसिफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।

21 माल की सप्लाई एवं सुपूर्दगी अवधि (Delivery of Goods and Period) :–

1.) बोलीदाता बिड में माल सप्लाई के लिए निर्धारित स्थान पर माल की सही दशा में सप्लाई करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा परिवहन की सामान्य स्थिति में माल में किसी प्रकार की क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपूर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जोन पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव या किसी कमी के होने के मामले में हुई हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जाएगी।

2.) माल सप्लाई के लिए निर्धारित स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किया जायेगा। यदि सप्लायर चाहे तो वह किसी भी प्रकार की हानि से बचने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा ही वहन किया जाएगा तथा कार्यालय से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। परिवहन के दौरान माल की किसी भी प्रकार की हानि के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नही होगा तथा न ही बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रकार के नुकसान का भुगतान करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

3.) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिये भाड़ा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर कार्य आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर गन्तव्य स्थल (FOR) कार्यालय शहर पर सप्लाई किया जायेगा। अगर कार्यालय द्वारा भाड़ा एवं अन्य प्रभार आदि का भुगतान किया जाता है तो उसकी वसूली प्रदायकर्ता के बिल से की जायेगी।

4.) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते है।

22 भुगतान (Payments) :–

1.) बोली में सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नही दी जावें। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त बोली मानकर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

2.) सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त् माल विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नही की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोली मानकर बोली निरस्त की जा सकेगी।

3.) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में जी.एस.टी.बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश निर्देश के तहत् वैधानिक कटौतियां कर भुगतान किया जावेगा।

4.) विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

5.) उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगें तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे।

6.) परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्ध की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल से की जाएगी। कम सप्लाई, टूटफूट, रद्ध किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (Liquidated damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

23 सुपुर्दगी अवधि एवं परिनिर्धारित क्षय (Delivery Period and Liquidated damages) :–

1.) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह बोली आमंत्रण में अंकित सप्लाई अवधि में समस्त माल की सप्लाई निर्धारित गन्तव्य स्थान पर पूर्ण करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी।

2.) परिनिर्धारित क्षति, (Liquidated damages) के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है :–

a) विहित सुपूर्दगी अवधि के लिए एक चौथाई (1/4) अवधि तक के विलंब के लिए :– 2.50%

b) विहित सुपूर्दगी अवधि की एक चौथाई (1/4) अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि (1/2) से अनधिक के लिए :– 5.00 %

c) विहित सुपूर्दगी अवधि की आधी अवधि (1/2) से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई (3/4) से अनिधक के लिए :– 7.50 %

d) विहित सुपूर्दगी अवधि की आधी अवधि (1/2) से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई (3/4) से अनिधक के लिए :– 7.50 %

e)विहित सुपूर्दगी अवधि की तीन चौथाई (3/4) अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए :– 10.00 %

f) विलंब की अवधि मे आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।

g) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

3.) यदि बोलीदाता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए चाहता है, तो वह लिखित में उस प्रधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरनत उसी समय दिया जायेगा न कि सप्लाई को पूर्ण हाने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जायेगा।

4.) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपूर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

24 बोली प्रतिभूति (Bid Security) -

1.) बोली प्रतिभूति राशि बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता से बोली आमंत्रित सूचना में किया जायेगा। राजस्थान के लघु उद्योगां की दशा में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी।

2.) बोली प्रतिभूति राशि **जिला एवं सेशन न्यायालय कोटपूतली,** के नाम पर बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करायी जावेगी।

3.) उपापन सस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतिक्षित विनिश्चय के संबंध में रखी हुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति में समायोजित नहीं की जायेगी। तथापि, मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।

4.) असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने की शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

5.) सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोलीदाता वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

6.) बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिए।

7.) बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति का समपहरण . (Forfeiture of Bid Security) निम्नलिखित मामलों में किया जा सकेगा :–

a) जब बोलीदाता बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत (withdraws) या उपान्तरित (Modifies) करता है।

b) जब बोलीदाता प्रदाय/संकर्म आदेश (supply/work order) देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नही करता है।

c) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश (Supply/work order) के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।

d) जब बोलीदाता प्रदाय/संकर्म आदेश (Supply/work) दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जमा नही कराता है।

e) यदि बोलीदाता राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 और राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

Note:- According to the FD order No. F.2(1)/FD/G&T-FPFC/2017 DATED 18-12-2020 AND 23-12-2020 Bid Security Declaration in prescibed formate on Rs. 50 /- Non Judicial Stamp with 30% Surcharge Should be submitted in Lieu of Bid security upto 31-12-2021

25 कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Peformance Security) :–

1.) सफल बोलीदाता से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत होगी। संकर्मों के उपापन के मामले में संकर्म आदेश की रकम की दस प्रतिशत होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बोली प्रदाय के लिए आदिश्ट परिमाण की रकम की एक प्रतिशत होगी।

2.) कार्य सम्पादन प्रतिभूति किसी अनुसूचित बैंक का बैंकर चैक या बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार की जायेगी।

3.) कार्य सम्पादन प्रतिभूति किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

4.) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज नहीं दिया जायेगा।

5.) कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

6.) सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती हे यदि सफल बोलीदाता वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

7.) कार्य संपादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से समपहरण (Forfeiture of Peformance Secutiy) निम्नलिखित मामलों में किया जा सकेगा :–

a) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

b) जब बोलीदाता सम्पूर्ण प्रदाय/सेवा संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

c) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि मे सवेा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो।

d) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

Note:-As per FD order No f.2(1)/FD/G&T-SPFC/2017 DATED 18-12-2020 PERFORMANCE SECURITY 2.5% OR AS MAY BE SPECIFIED IN THE BIDDING DOCUMENT OF THE AMOUNT OF SUPPLY ORDER IN CASE OF PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES AND 3% OF THE AMOUNT OF WORK ORDER IN CASE OF PROCUREMENT OF WORKS AND 0.5% OF THE AMOUNT OF QUANTITY ORDERED FOR SUPPLY OF GOODS IN CASE OF SMALL SCALE INDUSTRIES OF RAJASTHAN UPTO 31-3-2021

26 करार का निष्पादन (Execution of agreement) :–

1.) कोई उपापन संविदा, ऐसी तारीख से प्रवृत होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित् किया जाता है।

2.) सफल बोलीदाता को प्रदाय आदेश की रकम के 0.25 प्रतिशत (न्यूनतम रू. 500 तथा अधिकतम रू 15000) के बराबर राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर प्रारूप 17 में एक करार पत्र स्वयं के व्यय पर निष्पादन करना होगा।

3.) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करनें में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियिमें के उपबंधो के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रकियाओं के अनुसार, न्युनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

27 परिणाम में परिवर्तन का अधिकार (Right to vary quantity)

1.) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजो में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय , किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

2.) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोलीदस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सेकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होन की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी–

a) संकर्मे की दशा में व्यष्टिक मदो की मात्रा 50 प्रतिशात और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत।

b) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

28 अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन (Dividing quantities among more than one bidder at the time of award) :- सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमााण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाले उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी है या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच उस बोली लगाने वाले की दरों पर जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचनें के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि , परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

29 बोली लगाने वाले के द्वारा सतयनिष्ठा संहिता का भंग (Breach of code integrity by the bidder) :- अधिनियिम के अध्याय 4 के उपबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या यथास्थिति, भवी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप–धारा (3) और धारा 46 के उपबन्धों के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकेगी।

30 यदि बिडदाता ऐसी शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसक बिड को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नही समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकरी द्वारा जारी किए गए बिड स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किय गया हो।

31 उपापन समिति किसी भी बिड को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बिड नही है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्ध करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को विरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

32 किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायीत्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

33 बिडदाता को करार के निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

1.) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnersheep Deed) की एक स्वहताक्षरित प्रमाणित प्रति।

2.) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष

3.) एक मात्र स्वामित्व में मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर

4.) कम्पनी के मामलें में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र कम उपापन संविदा, ऐसी तारीख से प्रवृत होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित् किया जाता है।

34 यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation) आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नही होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

35 समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या निविदादाता) द्वारा कोटपूतली स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।

5.10.26

अध्यक्ष

क्रय कमेटी अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम सं 01
कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड

प्रमाणित किया जाता है कि बोली प्रपत्र तथा प्रपत्र के संलग्न सभी शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ कर समझ लिया गया है तथा इनके सभी पृष्ठों पर स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हस्ताक्षर कर दिये गये है।

दिनांक :–
स्थान :–

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय
नाम व सील

Annexure – "A"

Compliance with the code of Integrity and No conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

a Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

b Not srepresent or o t that sleads or attempts to slead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

c Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

d Not suse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

e Not indulge in any coercion including impairing or har ng or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

f Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

g Disclose conflict of interest, if any; and

h Disclose any previous transgression with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest –

The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict of Interest. A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i A Bidder may be considered to be in conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not li ted to:

a Have controlling partners/shareholders in common; or

b Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c Have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process.

e The Bidder participates in more than one Bid in bidding process. Participation by a Bidder in more then one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not li t the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid, or

f The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design of technical specification of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g Bidder or any of its affiliates has been hired (or is propose to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:

ANNEXURE –B

Declaration by Bidders regarding Qualification

In relation to my/our Bid submitte: I to (DISTRICT AND SESSION COURT KOTPUTLI) for procurement ofresponse to their Notice Inviting Bids No.....Dated..... I/We here by declare under section 7 of Rajasthan Tranparency in public procurement Act, 2012, that :-

1 I/We posses the necessary professional,technical ,financial and managerial resouces and competence required by the Bidding Document issued by the procuring entity.
2 I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3 I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business actviities suspended and not the subject or legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4 I/We do not have and our directors and officers not have been convicted of nay criminal offence related to my / our professional conduct of the making of false statements or misrepresentations as to my / our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurenment process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5 I/We do not have a confilict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document which materially affects fair competition ;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Annexure C

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is _District and Session Judge ,Kotputli.
The designation and address of the Second Appellate Authority is Registrar Genral,High court Jodhpur

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: 212 The Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:- (a) determination of need of procurement; (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process; (c) the decision of whether or not to enter into negotiations; (d) cancellation of a procurement process; (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee. (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,- (i) hear all the parties to appeal present before him; and (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date: **Signature of the Bidder with Rubber Seal**

Place:

Annexure – "D"

STATEMENT OF PAST EXPERIENCE AND PERFORMANCE

We..... (Name of firm) do hereby undertake that we have perpormed work as per details given below:-

Calendar Year	Full address of Bidder with telephone	Order No & Date	Period of Completion of delivery		Certificate of Experience attached	Has the work catered satisfactory ?
			From	To		
1	2	3	4	5	6	7

Note:-

1 It shoud be sumbitted with technical Bid.

2 The relvant doucment is enclosed to verify the information and the document attached by me/us are correct and reliabe to the best of my knowage and in case of document and information found wrong our tender bid/contract shall be liable to be cancelled.

Date:-

Place:-

Signature of bidder with Seal

Name-

Address-

Technical Envelope A
Annexure :- E

Self Declaration by the Bidder regarding Compliance Terms and Condition of Bid & Price Fall Caluse & Conformity/ No Deviation

In relation to my/our Bid submitted tofor procurement of.....in response to their Notice Inviting Bids No.....Dated..... .I/we hereby declare that:

1. I/We also confirm acceptance of the all General Terms and Conditions of tender document. I/We certified that the prices quoted against the tender are competitive and without adopting any unfair/unethical means in including cartelization.
2. I/ We hereby certified that presently our Company/Firm, at the time of bidding, is having unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fraudulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any State/ Central government/ PSU/ UT.
3. I/We certified that tendering Compay/Firm has not been banned/blacklist by any Government Department of the State/Government of Inida/PSU/Local Bodies/Other Insitute from business dealings.
4. I/We also certified that the information given above is factually correct, true and nothing material has been concealed.
5. This is to certify that, the specifications of bid Items which I/ We have mentioned in the bid, and which It We shall supply if I/ We am/ are awarded with the work, are in conformity with the minimum specifications of the Tender/ bidding document and that there are no deviations of any kind from the requirement specifications.
6. I/ we have thoroughly read the tender/ bidding document and by signing this certificate,we hereby submit our token of acceptance to all the tender terms & conditions without anydeviations.
7. I/ We certify that the price I/ we have quoted is inclusive of all the cost factors involved in the end-to-end implementation and execution of the work, to meet the desired Standards set out in the Tender/ bidding Document.
8. I/We certify that the Goods and Services Tax (GST) will not to be charged more than what is payable under the provision of the relevant Act or the Rules made there under
9. I/We certify that the goods on which GST has been charged have not been exempted under the GST Act or the rules made there under and the charges on account of GST on these goods are correct under the provisions of that Act or the Rules made there under.
10. I/We certify that the Seller is registered with above indicated GSTIN as dealer in the State where in their Billing address is located for the purpose of GST.
11. I/We hereby certify that the rate offered in Financial Bid is reasonable and justified and we are not marketing lower rates to other department on condition of the tender and contract.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/ our security may be forfeited in full and the bid if any to the extent accepted may be cancelled.

Dated :-
Place :-

Signature of the Bidder with Seal

(ANNEXUR - F)

निविदादाता द्वारा घोषणा

1. मैं/हम घोषणा करते है कि मेरे/हमारे द्वारा
.....(जिन सेवाओं हेतु दर संविदा प्रस्तुत की जा रही है) हेतु दर संविदा में दी गई सूचना सत्य है। यदि असत्य पाई जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है निविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्णरूप से समापहर्त कर लिया जावे तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया, रद्द कर दिया जावें।

2. प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म किसी बोर्ड, निगम, प्राधिकरण एवं राजकीय विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

(ANNEXURE - G)

DECLARATION BY TENDERERS

[See Rule 48 (vii)] SR FORM-11

I/We declare that I am/we are bonafide/Manufacturers/Whole Sellers/Sole distributor/ Authorised dealer/dealers/sole selling/Marketing agent in the goods/stores/equipments for which I/We have tendered.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/our security may be forfeited in full and the tender if any to the extent accepted may be cancelled.

Signature of the tenderer

SR FORM-17

AGREEMENT
(See Rule 68)

An agreement made this ---------- day of ---------- between ---------- (hereinafter called "the approved supplier", which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrators of the one part and the Government of the State of Rajasthan (herein after called "the Government" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.

2. Whereas the approved supplier has agreed with the Government to supply to the_____ of the State of Rajasthan at its Head Office as well as at branches offices throughout Rajasthan, all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tender and contract appended herewith and at the rates set forth in column_____ of the said schedule.

3. And whereas the approved supplier has deposited a sum of Rs._____ in _____.

(1) Cash/Bank Draft/Challan no./Banker Cheque No._____ dated_____.

(2) PostOfficeSavingsBankPass Book duly hypothecated to the Departmental authority.

(3) National Savings Certificates/Defence Savings Certificates, KisanVikasPatras, or any other script/instrument under National Saving Schemes for promotion of Small Savings, if the same can be pleased under the relevant rule. (The certificates being accepted at surrender value) as security for the due performance of the aforesaid agreement which has been formally transferred to the departmental authority.

4. Now these Presents witness:

(1) In consideration of the payment to be made by the Government through_____ at the rates set forth in the Schedule hereto appended the approved supplier will duly supply the said articles set forth in_____ and _____ thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contract.

(2) The conditions of the tender and contract for open tender enclosed to the tender notice No._____ dated_____ and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.

(3) Letters Nos._____ received from tenderer and letters nos._____ issued by the Government and appended to this agreement shall also form part of this agreement.

(4) (a) The Government do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said articles in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the Government will through_____ pay or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment.

(b) The mode of Payment will be as specified below:-

1._____
2._____
3._____

5. The delivery shall be effected and completed within the period noted below from the date of Supply order:-

S.No.	ItemsQuantity	Deliveryperiod

6. (1) (i) In case of extension in the delivery period with liquidated damages, the recovery shall be made on the basis of following percentages of value of stores which the tenderer has failed to supply :-

(a) Delay upto one fourth period of the prescribed delivery period.

(b) Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed delivery period.

(c) Delay exceeding one fourth but not exceeding three fourth of the prescribed delivery period.

(d) Delay exceeding three fourth of the prescribed delivery period. 2½% 5% 7½% 10%

Note : (i) Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies shall be eliminated if it is less than half a day.

(ii) The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10%.

(iii) If the supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurence of any hinderences, he shall apply in writing to the authority

which had placed the supply order, for the same immediately on occurence of the hinderence but not after the stipulated date of completion of supply.

(2) Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods is on account of hinderences beyond the control of the tenderer.

7. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the Government and the decision of the Government shall be final.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the..... day of199.....

Signature of the approved supplier.

Signature for and on behalf of Governor
Designation

Date:

Date:

Witness No. 1

Witness No. 1

Witness No.2

Witness No.2

SR FORM-17

AGREEMENT
(See Rule 68)
(500/- रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

An agreement made this ---------- day of ---------- between ---------- (hereinafter called "the approved supplier", which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrators of the one part and the Government of the State of Rajasthan (District and Sessoin court, Kotputli) of the other part.

2. Whereas the approved supplier has agreed with the Government to supply to the_____ of the State of Rajasthan at its Head Office as well as at branches offices throughout Rajasthan, all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tender and contract appended herewith and at the rates set forth in column_____ of the said schedule.

3. And whereas the approved supplier has deposited a sum of Rs._____ in _____.
 (1) Cash/Bank Draft/Challan no./Banker Cheque No._____ dated_____.
 (2) PostOfficeSavingsBankPass Book duly hypothecated to the Departmental authority.
 (3) National Savings Certificates/Defence Savings Certificates, KisanVikasPatras, or any other script/instrument under National Saving Schemes for promotion of Small Savings, if the same can be pleased under the relevant rule. (The certificates being accepted at surrender value) as security for the due performance of the aforesaid agreement which has been formally transferred to the departmental authority.

4. Now these Presents witness:
 (1) In consideration of the payment to be made by the Government through_____ at the rates set forth in the Schedule hereto appended the approved supplier will duly supply the said articles set forth in_____ and _____ thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contract.
 (2) The conditions of the tender and contract for open tender enclosed to the tender notice No._____ dated_____ and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.
 (3) Letters Nos._____ received from tenderer and letters nos._____ issued by the Government and appended to this agreement shall also form part of this agreement.
 (4) (a) The Government do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said articles in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the Government will through_____ pay or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment.
 (b) The mode of Payment will be as specified below:-
 1._____
 2._____
 3._____

5. The delivery shall be effected and completed within the period noted below from the date of order:-
Supply

S.No.	Items	Quantity	Deliveryperiod

6. (1) (i) In case of extension in the delivery period with liquidated damages, the recovery shall be made on the basis of following percentages of value of stores which the tenderer has failed to supply :-
 (a) Delay upto one fourth period of the prescribed delivery period.
 (b) Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed delivery period.
 (c) Delay exceeding one fourth but not exceeding three fourth of the prescribed delivery period.
 (d) Delay exceeding three fourth of the prescribed delivery period. 2½% 5% 7½% 10%

Note : (i) Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies shall be eliminated if it is less than half a day.
(ii) The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10%.
(iii) If the supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurence of any hinderences, he shall apply in writing to the authority which had placed the supply order, for the same immediately on occurence of the

hinderence but not after the stipulated date of completion of supply.

(2) Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods is on account of hinderences beyond the control of the tenderer.

7. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the Government and the decision of the Government shall be final.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the..... day of

Signature of the approved supplier.

Signature for and on behalf of Governor
Designation

Date:

Date:

Witness No. 1

Witness No. 1

Witness No.2

Witness No.2